माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांकः 15.10.2006

शक्कर बोरी को गोदाम/निर्धारित में छल्ली लगाने का कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2025–26

शक्कर बोरी को गोदाम/निर्धारित में छल्ली लगाने का कार्य हेतु ई–निविदा की नियम एवं शर्ते

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता ....

....

....

दिनांक –

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

General Manager (F)
MMSSK Ltd. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर
ग्राम केरता जिला सूरजपुर (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1400(02) दिनांक 28/10/2025

ऑन लाईन ई–निविदा क्रमांक 178202

पेराई सत्र 2025–26 हेतु शक्कर बोरी को गोदाम/निर्धारित में छल्ली लगाने का कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स ....
2	फर्म का पता	:.. ....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1311.00 (**एक हजार तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र**) वापसी योग्य नहीं है को **http://eproc.cgstate.gov.in** में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 29/10/2025 को साम 05.00 बजे से दिनांक 12/11/2025 को समय दोपहर 12.00 बजे तक **http://eproc.cgstate.gov.in** से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड़ कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 12/11/2025 **को समय दोपहर** 01.00 **बजे के बाद।**

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु **राशि 60,000.00 रूपये (शब्दों में :– साठ हजार रूपये मात्र)** कारखाने के खाते में **(खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495)** में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। **RTGS/NEFT/TRANSFER** के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई–निविदा के भाग–1, ई0एम0डी0 भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम–केरता

शक्कर बोरी को गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने का कार्य हेतु ई-निविदा 2025-26

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	:	....
2. पता	:	....
	:	....
	:	....
3. मोबाईल नं.	:	....
4. ई-मेल आई.डी.	:	....
5. जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें)	:	....
8. वैधता की तिथि	:	....
9. निविदाकार का बैंक का नाम	:	....
10. फर्म का खाता क्रमांक	:	....
11. ई.एम.डी. जमा राशि	:	..........................शब्दों में....................................
12. यू.टी.आर. नम्बर	:	....
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा (जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)	:	....

पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर MMSSK जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

–:: ई–निविदा की शर्ते ::–

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1400(02) **दिनांक 28/10/2025**

1. निविदाकार को भाग–दो, तकनीकी भाग के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, वैध लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्रमिकों का जीवित बीमा की छायाप्रति एवं वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिर्पोट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. प्रत्येक पाली में प्रति–दिन निम्नानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।

   (A) गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली हेतु – 25 मजदूर प्रति पाली।
   (B) अधिकृत सुपरवाईजर – 1 प्रति पाली।

   उपरोक्तानुसार प्रति पाली 26 मजदूर और प्रति दिन 78 मजदूर कार्य पर लेना अनिवार्य होगा।

3. श्रम विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग लेबर लाईसेन्स की आवश्यकता होती है। नियमानुसार शक्कर बोरी गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने का कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्ती के पश्चात श्रम विभाग से कम से कम **80 मजदूर** का लेबर लाईसेन्स प्राप्त कर 15 दिवस के अन्दर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर फर्म के सुपरवाईजर को रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रति पाली, प्रतिदिन गोदाम इंचार्ज/शुगर हाउस इंचार्ज/चीफ केमिस्ट का साइन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. भाग–2, तकनीकी भाग में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं भाग–3, व्यावसायीक भाग में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. शक्कर बोरी गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने कार्य का दर प्रति बोरी कर अतिरिक्त दिया जाना होगा जी.एस.टी. अलग से दी जावेगी एवं जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर ठेकेदार को वहन करना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना को जी.एस.टी का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

मॉं महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर MMSSK जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

7. शक्कर बोरी गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने में कार्यरत मजदुरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदुर को कोई क्षति के लिए जवाबदार श्रमिक ठेकेदार होंगे, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नही होगा।

8. शक्कर बोरी गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट प्रति पाली, प्रति-दिन गोदाम इंचार्ज/शुगर हाउस इंचार्ज/शिफ्ट केमिस्ट/चीफ केमिस्ट से साइन कराकर टाइम ऑफिस में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

9. शुगर हाउस से शक्कर प्रति-दिन लगभग 3,000 क्विंटल उत्पादित होगा। शुगर हाउस में जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। शुगर हाऊस में जाम की स्थिति होती है तो प्रतिघंटा 7000 रूपये की दर से राशि काटी जायेगी।

10. किसी भी श्रमिक को 8 घंटे से अधिक कार्य पर नहीं रखा जायेगा।

11. गोदाम में छल्ली चालीस से पैंतालिस बोरी ऊंचाई की होगी इसके लिए स्टेकर प्रदान किया जायेगा। छल्ली लगाई प्रत्येक दिन पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

12. छल्ली के नीचे एवं उपर तिरपाल बिछाकर छल्ली को उपर से तत्काल तिरपाल ढ़ककर रस्सी से बांधना अनिवार्य होगा।

13. शक्कर बोरी गोदाम/निर्धारित स्थान में छल्ली लगाने के दरमियान अगर बोरी फटती है तो उसकी रि-पैकिंग एवं सिलाई करना अनिवार्य होगा।

14. कारखाना के नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. शुगर बेल्ट/स्टेकर के क्षमता के अनुरूप शुगर बैग डालना अनिवार्य होगा। अगर शुगर बेल्ट एवं स्टेकर क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत एवं सामग्री आदि का खर्च की राशि कटौती की जायेगी।

16. शुगर बेल्ट, स्टेकर को आवश्यकतानुसार शिफ्टींग का कार्य आपको करना अनिवार्य होगा।

17. प्रत्येक पाली में अधिकृत सुपरवाईजर रखना अनिवार्य होगा।

18. प्रत्येक मजदूर को ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

19. बारिश एवं प्राकृतिक आपदा एवं आग आदि के कारण शक्कर की सुरक्षा की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

20. शुगर हाउस से मुख्य गोदाम के आगे दरवाजा एवं पीछे दरवाजा से दोनों तरफ शुगर बैग ले जाना एवं छल्ली मारना अनिवार्य होगा।

21. शुगर हाउस से समस्त टिन शेड एवं खुले में आवश्कतानुसार शुगर बैग ले जाना, छल्ली लगाना, सुरक्षित रखने का कार्य करना अनिवार्य होगा एवं भण्डारण करना अनिवार्य होगा।

22. खाली पी.पी. बैग ट्रक से खाली करना एवं सुरक्षित स्थान पर रखना एवं शुगर हाउस में ले जाने का कार्य अनिवार्य होगा।

23. गोदाम/निर्धारित स्थान में शक्कर बोरी को छल्ली लगाने हेतु अनुभवी एवं दक्ष मजदूर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मानक अनुरूप छल्ली लगाना अनिवार्य होगा। मानक अनुरूप छल्ली नहीं लगाये जाने पर पुनः ठेकेदार के व्यय पर मानक अनुरूप छल्ली लगवाया जावेगा।

24. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

26. प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने सम्बंधि पूर्ण अधिकार होगा।

पंजीकृत लेबर ठेकेदार/फर्म का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं...फर्म...

प्रतिनिधि का नाम.....................................पिता का नाम...............................

फर्म का पता...

मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यून्तम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादिशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांक ....में राशि रूपये.......................
............दिनांक..........................को.संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूॅं।

निविदाकार का हस्ताक्षर